[29/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 626]

परिशिष्ट - "अ"

परिशिष्ट-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक -626

क्र	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	मजरा-टोले का नाम	पात्रता/अपात्र	पात्रता ना आने का कारण
1	ताल	असावता	अलीगढ़ सोनगिरि	अपात्र	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम,2020 के नियम 43 के उपनियम (3) किसी ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित किया जा सकेगा बशर्ते निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति की जाती हो, अर्थात :- (क) एकल इकाई के रूप में सुविधापूर्वक प्रबंधक रने की दृष्टि से विघमान ग्राम का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो; (ख) अलग अलग तथा सुभिन्न इकाईयों में स्थित दखलरहित भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा हो; (ग) किसी ऐसे विघमान ग्राम की दशा में जो भागत: अथवा पूर्णत: पुराने वीरान ग्रामों से मिलकर बना हो, इनमें से एक या अधिक तब से स्थिर आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित हो गए है; और (घ) इसी प्रकार के अन्य कारण हों : परन्तु किसी ग्राम का इस प्रकार कोई विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसा ग्राम विरचित हो जहां निम्नलिखित में से कोई स्थिति बनती हो - (क) अस्सी हेक्टेयर से कम क्षेत्र; (ख) पिछली जनगणना के आधार पर दो सौ से कम जनसख्या; अथवा (ग) नवीन और पुराने ग्रामों की आबादियों के बीच दो किलोमीटर से कम की दूरी ।
		विसलखेडा	रामगढ	अपात्र	
		कीटखेडी	नाथूखेडी	अपात्र	
		चपलाखेडी	नसिरगंज	अपात्र	
		माल्यातात	माल्याखेडा	अपात्र	
		सुरजना	किरखेडा	अपात्र	
		बरखेडाखुर्द	लक्ष्मीपुरा	अपात्र	
		लुनी	मधपुरा	अपात्र	
		खेताखेडी	धामनिया	अपात्र	
		रणायरा	रणायराखेडा	अपात्र	
2	जावरा	डूमाहेडा	तलावली	अपात्र	
3	आलोट	कराडिया	सुखाखेडा	पात्र	
		तालोद	तारागढ	पात्र	

अनुभाग अधिकारी